

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
 पीठासीन अधिकारी : डॉ० बजरंगसिंह यादौन, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 60/2017

अपीलान्त

बंनम

रेस्पॉडेन्ट :-

नार्थसिंह जालि राजपूत निवासी खिवान्दी
 तहसील सुंभरपुर
 सरकार जारिये भूमिधारी तहसीलदार
 सुंभरपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

श्री दीपाराम परमार, विद्वान अभिभाषक अपीलान्त
 सरकाराी प्रोकार, रेस्पॉडेन्ट की ओर से

:- निर्णय :-

दिनांक:- 18-12-17
 अपीलान्त की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 863/2016 में तहसीलदार सुंभरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.2016 तथा न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 20/2017 में पारित निर्णय दिनांक 09.03.2017 के विरुद्ध धेश की गई। अपीलान्त दर्ज रजिस्टर कर रेस्पॉडेन्ट की जारिये समान तलब किया गया। अधिनियम न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार सुंभरपुर ने अपीलान्त के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर ग्राम खिवान्दी के खसरा नंबर 847 रकबा 0.04 हेक्टेयर किस्म गौंसो माखर की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने के सम्बन्ध में नोटिस जारी किया तथा दिनांक 16.09.2016 को तारीख पेशी नियत की गई। इसके पश्चात दिनांक 27.12.2016 को आदेश पारित करते हुए धारा 91 (2) के तहत पश्चातवर्ती अधिकरण मानते हुए अपीलान्त पर पुर्नाना आरोपित किया तथा साथ ही तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया। अधिनियम न्यायालय द्वारा इस बाबत किस्मी प्रकार की जांच नहीं की गई कि अपीलान्त पश्चातवर्ती अधिकारी की श्रेणी में परिलक्षित होता है अथवा नहीं? तथा न ही इस प्रकार के कोई साक्ष्य सर्बत ही पत्रावली पर उपलब्ध थे। इस सम्बन्ध में न तो पटवारी इल्का के बयान कलमबद्ध किये गये तथा न ही किस्मी प्रकार के साक्ष्य प्रदर्शित हुए। अपीलान्त को समर्थित सुनवाई का अवसर दिये बिना पश्चातवर्ती अधिकारी मानते हुए और अपील आदेश के जारिये अपीलान्त को तीन माह के सिविल कारावास का दण्ड दिया गया है, जो विधि विरुद्ध है। पश्चातवर्ती अधिकारी उसे माना जाता है, जिसके विरुद्ध पूर्व में अतिक्रमण करने बाबत प्रकरण चला ही। अपीलान्त के विरुद्ध पूर्व में कोई प्रकरण नहीं चला था, इसके बावजूद भी अधिनियम न्यायालय द्वारा विधि विरुद्ध रूप से और अपील आदेश पारित किया गया है। खसरा नंबर 844 की भूमि, जिसके भाग पर अपीलान्त का कब्जा बताया गया है, उस सम्पूर्ण भूमि में अपीलान्त बस चुकी है, लोगों के पक्के मकानात स्थित है, जिसमें विद्युत व पानी के कनेक्शन लिये गए हैं। इस प्रकार प्रकरण नियमितिकरण योग्य था। अधिनियम न्यायालय द्वारा इन सम्बन्धित तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए और अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरुद्ध है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अधिनियम न्यायालय द्वारा और अपील प्रकरण में अपनाने गई



राजस्थान अपील प्राधिकारी, पाली